

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्र क्र 1120/नि.सहा./संचा. (अ.प्र.)

मंत्रालय


आवक दिनांक 09/07/18

:: आदेश ::

जावक दिनांक 10/07/18

भोपाल, दिनांक 07/07/2018

क्रमांक एफ 12-05/2018/सत्रह/मेडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा डॉक्टर आर.के.चतुर्देवी, अस्थि रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, बालाघाट दिनांक 03.03.2015 को हृदयाघात के कारण गंभीर अवस्था में वेंटीलेटर एवं पेसमेकर लगाने पर एयर एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल, नई दिल्ली, शिफ्ट करने के संबंध में एयर एम्बुलेंस पर हुए व्यय राशि रुपये 4,22,000/- मात्र (रुपये चार लाख बाईस हजार मात्र) की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


क्रमांक एफ 12-5/2018/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 07/07/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
2. निज सचिव, मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन की ओर उनके पत्र क्रमांक 2098/मु.स./18 दिनांक 26/06/2018 के संदर्भ में।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

- ✓ 7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावें)।
8. कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश ।
9. उप संचालक, (एम. आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल की ओर आदेश की अतिरिक्त प्रतिलिपि संलग्न कर, डॉ. आर. के. चतुर्वेदी (से.नि.) अस्थिरोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट को उपलब्ध कराने हेतु अग्रेषित।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश ।
11. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश ।
12. जिला कोषालय अधिकारी, बालाघाट मध्यप्रदेश ।
13. डॉ. आर. के. चतुर्वेदी, (वर्तमान में सेवानिवृत्त) अस्थिरोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय बालाघाट, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
14. आर्डर फाईल ।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग